न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2019/निगरानी निगरानी-0505/2019/श्योपुर/भू.रा.सं.

अनवर पुत्र श्री मुनीर खां उम्र 45 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम बड़ाखेड़ा, तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

———निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

कन्हैया पुत्र रामचंद उम्र 40 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम बड़ाखेड़ तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

—— गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

श्री सुनील आर. ... ने
आज दि. 10-4-19
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 22-4-19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-4-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.11.2017 न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय जिला श्योपुर म.प्र. के राजस्व अपील प्रकरण 250/अपील/2017–18 व उन्वान कन्हैया वनाम अनवर में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत है।</u>

श्रीमान् जी,

पुनरीक्षणकर्ता /आवेदक का आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त विवरण</u>

Noted 22/4/19 Advocate

1. यहकि गैर निगरानीकर्ता अर्थात् अनावेदक कन्हैया पुत्र रामचंद जाति बैरवा निवासी ग्राम बड़ाखेड़ा तह. व जिला श्योपुर द्वारा एक अपील माननीय अनुविभाग श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 38/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 धारा 44(2) म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष 10.11.2017 को प्रश्नाधीन आदेश का अपील प्रस्तुत किया तथा उसमें समस्त दस्तावेज संलग्न किये। उक्त अपील को माननीय अपर आयुक्त महोदय श्योपुर द्वारा पंजीबद्ध कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश तथा सम्पूर्ण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–0505 / 2019 / श्योपुर / भू0रा0

अनवर विरूद्ध कन्हैया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर
28–8–2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र.क्र. 250/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 22–04–2019 को प्रस्तुत की गई है। मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 में धारा 50(2)(ख) के अनुसार अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग मुरैना द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण आवेदन प्रचलन योग्य नहीं होने अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	